

Association has favoured the proposal ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. A. AHMED) : (a) Yes, Sir,

(b) No, Sir,

(c) The grading of ordinary Portland cement on the basis of strength is under consideration of the Indian Standard Institution. Government would take a decision after receiving the recommendation from the Indian Standards Institution.

कागज का मूल्य

*347. श्री शारदा मन्व
श्री श्रींकार सिंह
श्री रामसिंह अयरबाल

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा सवसाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कागज के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई और इसके क्या कारण थे ;

(ख) कागज के मूल्य में वृद्धि की अनुमति सरकार ने किन आधारों पर दी ;

(ग) क्या सरकार इसका मूल्य कम करने के लिये कागज निर्माताओं से आग्रह करेगी ; और

(घ) यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा सवसाय कार्य मंत्री (श्रीकलकट्टीन अली अहमद) : (क) कागज के मूल्यों पर से 3-5-1968 को नियंत्रण हटा लेने के सुरम्त बाद ही कागज उद्योग ने 250 रु०

प्रति मी० टन के हिसाब से मूल्यों में इसलिए वृद्धि की कि उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है । अतः फलस्वरूप, इसी आधार पर कागज के अनुसार अप्रैल, 1969 में उद्योग ने पुनः 95 रु० से 150 रु० प्रति मी० टन तक मूल्यों में वृद्धि की ।

(ख) उद्योग ने मूल्यों में वृद्धि करने से पहले सरकार से परामर्श नहीं किया ।

(ग) तथा (घ) : मूल्य में वृद्धि किए जाने के मामले में कार्रवाई आने के बारे में सरकार विचार कर रही है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित कोटे में संगञ्चल कर्मचारियों की पदोन्नति

*348. श्री मोलहू प्रसाद : क्या रेलवे मंत्री 18 मार्च, 1969 के अतारक्षित प्रश्न संख्या 3440 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे तथा अन्य जोनल रेलों में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एस० सी० टी०) । 68 सी० एम० 15/10 दिनांक 27 अगस्त, 1968 के उपबन्धों के अधीन अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षित कोटे में कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका जोनवार ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

रेलवे मंत्री (डा० राम सुमन सिंह) : (क) से (ग) जिन रेलों पर रेलवे बोर्ड के 27 अगस्त, 1968 के पत्र के जारी होने के बाद रनिंग कर्मचारियों की कोटि में चुनाव हुए हैं, वहाँ पदोन्नति इस पत्र के उपबन्धों के अनुसार की गयी है । इसके क्षेत्रवार ब्योरे सलग्न अनुबन्ध में दिये गये हैं ।